न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

पीठासीन अधिकारी रामसिंह राजावत आर.ए.एस सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

मु.न. 113 / 2020
न्यायालय हाजा में दर्ज संख्या 94 / 2023
दर्ज दिनांक 18.04.2023
निर्णय 6.09.2024

उनवान

1. हरिमोहन पुत्र किशोरी लाल
2. मुकेश पुत्र पून्या
3. ओम प्रकाश पुत्र पून्या
4. नरेश पुत्र पूनया
5. बुद्वी पत्नि पून्या

} जाति ब्राहमण निवासी शेखपुरा तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई जिला दौसा।

..वादीगण

बनाम

1 बाबूलाल पुत्र घनश्याम
2. घनश्याम पुत्र चिंरजी लाल
3. महेश कुमार पुत्र मोहन लाल
4. निरंजन पुत्र मोहन लाल
5. तहसीलदार साहब तहसील बसवा हाल तहसील बांदीकुई
6. उपतहसीलदार महोदय, उपतहसील बडियाल कलां

..प्रतिवादीगण

<u>दावा स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय 06.09.2024

उपस्थितः–
1 श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता वादी
2. श्री सुशील मिश्रा अधिवक्ता प्रतिवादी

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– वादीगण ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा के निवासी है वादीगण की खातेदारी की भूमि पुराना खाता संख्या 39 नया 41 के आराजी खसरा नं0 107 रकबा 0.57 है0 आराजी खसरा नं0 108 रकबा 0.03 है० वाके राभा शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। खसरा नम्बर 1199 / 641 रकबा 0.02 है० गै० मु० रास्ता व खसरा नं0 1201 / 640 रकबा 0.01 है० गै० मु० रास्ता जरिये समपर्ण स्वीकार किया गया है। खसरा नं0 1199 / 641 व 1201 / 640 में होकर रास्ता नही निकाल कर प्रतिवादीगण जबरन वादीगण की भूमि आराजी खसरा नं0 107 व 108 में होकर जबरन वादीगण की भूमि में होकर रास्ता निकालना चाहते है जबकि उक्त भूमि खातेदारी की भूमि है जिसमें होकर रास्ता निकालने का अधिकार प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार हांसिल नही है। वादीगण एवं आमजन बजमाने बुजुर्गान से सीट में

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

अंकित रास्ता खसरा नम्बर 105 व 112 में होकर कुवें कोठी बने हुये है एव पुरानी आबादी है उसमें होकर आते जाते है जो कि मौके पर आज भी कायम है एवं आ जा रहे है किसी भी प्रकार की कोई रूकावट नही है। प्रतिवादीगण को आदेशित किया जावे कि वह वादीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 107, 108 में होकर जबरन रास्ता नही निकाले एव वादीगण की काश्त में दखलन्दाजी नही करे किसी भी प्रकार की ग्रेवल या पुख्ता सडक निकालने से स्थायी तौर पर पाबंद रहें । वादीगण इज्जतदार व्यक्ति एव गरीब काश्तकार व्यक्ति है इसलिये वादीगण की भूमि में. अगर जबरन रास्ता निकालने में सफल हो गये तो वादीगण को भारी अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही हो सकेगी। दिनांक 20/7/2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वादीगण की भूमि में होकर जबरन ग्रेवल सडक निकालने के लिये आ गये वादीगण ने मना किया तो आमादा फिसाद हो गये तथा ऐलानियां धमकि दी है कि हम वादीगण की भूमि में होकर जबरन रास्ता हर सूरत में निकाल कर रहेगे। यदि वादीगण ने मना किया तो जान से मार देंगे। इसलिये वादीगण को प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाया जाना आवश्यक है। बिनाय दावा व बिनाय मुखास्तमत दिनांक 20/7/2020 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि पर जबरन रास्ता निर्माण करने की धमकि देने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है दावा अन्दर मियाद पेश है ।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि बाद तहकीकात दावा वादी वरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न इस्तदुआ स्वीकार करते हुये डिकी फरमाया जावे कि::–अ– प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण स्वंय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के वादीगण की भूमि 108 मुतदाविया खसरा नं०107 व खसरा नं0 108 स्थित ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में होकर किसी भी प्रकार का खाम, ग्रेवल व पुख्ता रास्ता निकालने से, वादीगण के उपयोग उपभोग इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से प्रतिबन्धित रहें जावें। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। स अन्य दादरसी जो करीने इंसाफ बहक वादीगण हो और अता फरमायी जावें ।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब पेश किया गया जो संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:– वाद पत्र के चरण संख्या एक जिस प्रकार से तहरीर की गई है जो स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या जिस प्रकार से तहरीर की गई है सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 जिस प्रकार से तहरीर की गई है गलत है जबकि प्रशासन द्वारा मय जाप्ते के आराजी खसरा नं० 1199/641 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व खतरा नं० 1201/640 रकबा 0.01 गैर मुमकिन रास्ता, जो रास्ता शुरू से चला आ रहा था जिसको वादीगण द्वारा लाठी के बल पर बन्द कर दिया गया थी जो रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे अंकित है उसी रास्ते को मौके पर सीमाज्ञान करके वादीगण की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा खुलवाया गया। वाद पत्र का पैरा नं० 4 में वर्णित रास्ता रिकोर्डेट है लेकिन उक्त रास्ता अलग जगह होकर वादीगण की रिहायश के लिये जाता है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 व 6 जिस प्रकार तहरीर की गई है वह गलत है अस्वीकार है । वाद पत्र की चरण संख्या 7 में वर्णित तथ्य सारहीन एवम गलत है दिनांक 20–7–2020 को ऐसी कोई कहा सुनी हुई नही है इसलिये वाद कारण पैदा होने का प्रश्न ही नही होता है । वाद पत्र की चरण संख्या 9–10 कानूनी होते ते जवाब मोहताज नही है। अतः जवाब दावा प्रतिवादीगण संख्या 1 ला० 4 की ओर से पेश कर अर्ज है कि दावा वादीगण मय इस्तदुआ हर्जा खर्चा खारिज फरमाया

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

जावे। प्रतिवादीगण का उपरोक्त जवाब पेश होने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई:-

तनकी संख्या 1आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि ख.न. 107,108 ग्राम शेखपुरा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण..........................।

तनकी संख्या 2 आया खसरा नम्बर 1199/641 रकबा 0.02 है. गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 1201/640 रकबा 0.01 है. गै.मु. रास्ता शुरू से चला आ रहा है वादीगण द्वारा लाठी के बल पर बंद किया है रास्ता रिकोर्डेड है। दावा वादीगण खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण......।

तनकी संख्या 3 अनुतोष

प्रकरण में तनकीयात कायम होने पर प्रकरण वादी साक्ष्य में नियत किया गया वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र मुकेश पुत्र पुन्या का पेश किया गया। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा की गई। प्रकरण वादी साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी पर नियत किया गया प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र बाबूलाल का पेश किया गया। जिरह वादी अधिवक्ता द्वारा की गई। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण बहस पर नियत किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा दावे में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये तर्क किया है कि खातेदारी की भूमि पुराना खाता संख्या 39 नया 41 के आराजी खसरा नं0 107 रकबा 0.57 है0 आराजी खसरा नं0 108 रकबा 0.03 है० वाके रामा शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। वादीगण की भूमि आराजी खसरा नम्बर 107, 108 में होकर प्रतिवादीगण जबरन रास्ता ग्रेवल या पुख्ता सडक निकालना चाहते है इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी तौर पर पाबंद किया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जवाब दावे को दोहराते हुये तर्क किया है कि वादी आराजी खसरा नं० 1199/641 रकबा 0.02 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नं० 1201/640 रकबा 0.01 गैर मुमकिन रास्ता, जो रास्ता शुरू से चला आ रहा था जिसको वादीगण द्वारा लाठी के बल पर बन्द कर दिया गया थी जो रास्ता राजस्व रिकोर्ड मे अंकित है उसी रास्ते को मौके पर सीमाज्ञान करके वादीगण की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा खुलवाया गया। वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता नही है। इसलिये दावा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया एवं तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण का तनकीवार निर्णय निम्ननुसार है:-

तनकी संख्या 1 आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि ख.न. 107,108 ग्राम शेखपुरा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर वादीगण द्वारा पेश दस्तावेजात प्रदर्श 1 ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी संवत 2075-2078 खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 105, 106, 107, 108, 340, 341, 353, 4, 5, 8, वादी संख्या 2,3,4,5 की खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नही है। प्रदर्श-2 संवत 2052-2071 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 3 लगायत 8 नक्शा ट्रेस पेश किये गये है। प्रदर्श 1 के आधार पर खसरा नम्बर 107 एवं 108 वादी संख्या 2,3,4,5 की खातेदारी भूमि है जिसमें वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 खातेदार नही है। संख्या 2,3,4,5 प्रतिवादीगण को उनकी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 107,108 में जबरन रास्ता निकालने से स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। तनकी संख्या 1 आशिंक रूप से वादी संख्या 2,3,4,5 के पक्ष में तय की जाती है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई

तनकी संख्या 2 आया खसरा नम्बर 1199/641 रकबा 0.02 है. गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 1201/640 रकबा 0.01 है. गै.मु. रास्ता शुरू से चला आ रहा है वादीगण द्वारा लाठी के बल पर बंद किया है रास्ता रिकोर्डेड है। दावा वादीगण खारिज योग्य है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर प्रतिवादीगण द्वारा प्रदर्श डी 1 उप तहसीलदार बडियाल कलां के आदेश दिनांक 22.10.21, प्रदर्श डी--2 मौका पर्चा पेश किये गये। प्रदर्श डी--1 उप तहसीलदार बडियाल कलां के आदेश दिनांक 22.10.21,जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1201/640 रकबा 0.01 एवं खसरा नम्बर 1199/641 रकबा 0.02 हैक्टेयर गे.मु. रास्ते के भूमि में अतिक्रमण हटाये जाने में सीमा ज्ञान टीम घटीत की गई थी। प्रदर्श 2 मौका पर्चा के अनुसार रास्ते की भूमि से अतिक्रमण हटवाया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करने में सफल रहे है। वादीगण को आम रास्ते में अतिक्रमण करने से पाबन्द किया जाकता है। तनकी संख्या 2 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोषः-- तनकी संख्या 1व 2 के आधार पर खसरा नम्बर भूमि ख.न. 107,108 वादी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी भूमि है। जिसमें प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं खसरा नम्बर 1199/641 रकबा 0.02 है. गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 1201/640 रकबा 0.01 है. गै.मु. रास्ता के भूमि है जिसमें वादीगण को दखल अतिक्रमण करने एवं व्यवधाप उत्पन्न करने से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण दावा स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण वादी संख्या 2 लगायत 5 की खातेदारी भूमि होने से वादी संख्या 2 लगायत 5 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी संख्या 2 लगायत 5 की ओर से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जाता कि प्रतिवादीगण स्वंय या अपने एजेन्टो नौकरो घरवालो या अन्य मददगारान के वादीगण 2 लगायत 5 की भूमि मुतदाविया खसरा नं० 107 व खसरा नं0 108 स्थित ग्राम शेखपुरा तहसील बसवा जिला दौसा में होकर किसी भी प्रकार का खाम, ग्रेवल व पुख्ता रास्ता निकालने से, वादी संख्या 2 लगायत 5 के उपयोग उपभोग इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से प्रतिबन्धित रहें तथा वादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि खसरा नम्बर 1199/641 रकबा 0.02 है. गै.मु. रास्ता खसरा नम्बर 1201/640 रकबा 0.01 है. गै.मु. रास्ता में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 6.9.2024 को खुले न्यायालय मे निर्णय सुनाया गया।

06.9.24

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (फास्ट--ट्रेक)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) बांदीकुई